

न्यायलय उपखण्ड अधिवारी पदेन सहायक कलेक्टर, कपासन जिला - वित्तौडगाढ (राज.)


(पीठासीन अधिवारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - कपासन)

02/10/25

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 525/25 तयार दिनांक 02/10/25 निर्णय दिनांक 02/10/25



क्र.सं.	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट		कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर कपासन आदेश	
1	<u>जयपुर</u>	<u>68</u>	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुलाविक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर</p>	<p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया</p>	<p>तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज. भू.रा. अधि. 1956 की धारा 136 के अधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>जयपुर</u> प.ह. <u>कपासन</u> खातासं. <u>68</u> में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दखलदारी किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>	
	प्रतिनिधि पालनाथ:-	<u>पटवारी</u>	<p>हस्ताक्षर पटवारी</p> <p><u>पटवारी</u></p>	<p>हस्ताक्षर मीरदावर</p> <p><u>मीरदावर</u></p>	<p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p> <p><u>कपासन</u></p>	<p>पदेन सहायक कलेक्टर कपासन</p> <p><u>कपासन</u></p>

1. पटवारी पटवार मण्डल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दखलदारी किये जाने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार (कपासन)
तहसीलदार (भू.रा.) कपासन

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - राहसीलदाद (राज.)

गणतन्त्रीय अधिकाारी, ग्रामीण सेवा शिबिर 2025 कैम्य स्थल - कपासन

956


ग्रामीण सेवा शिबिर-2025

ध्या अन्तर्गत - 136

प.सं. 527/25

दाखर दिनांक 02/10/25

निर्णय दिनांक 02/10/25



क्र.न.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	हमेशपुर	1256	<p>गहोराय जी. निवेदन है कि मुलाधिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। गूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>रटेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर</p> <p>हस्ताक्षर पदवारी</p>	<p>तहसिलीदार कपासन की अनुशांवा स्वीकार की जाकर राज.भू.सा.अधि.1956 की धारा 136 के अधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>हमेशपुर</u> प.इ. <u>कपासन</u> खातासं. <u>1256</u> में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया</p> <p>हस्ताक्षर मीरदावर</p> <p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p>

प्रतिनिधि पालनार्थ:-
 1. पदवारी पदवार कपासन को भोजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करेगा

तहसीलदार कपासन
 तहसीलदार(भू.अ.) कपासन